राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांकः– एफ.11( )/एनएचएम/भण्डार/प्रतिदिन वाहन/2021–22/ 1015 दिनांकः– 25/3/2021

....
....
....
....

विषय : एनएचएम के अन्तर्गत प्रतिदिन के आधार पर (As & When Required) पर वाहन लेने हेतु सूचना।

नेशनल हैल्थ मिशन के अन्तर्गत व्यक्ति, स्वामी, फर्मों एवं ट्रैवल एजेंसीज से प्रतिदिन के आधार पर जयपुर लोकल एवं जयपुर से बाहर की यात्रा हेतु (As & When Required) वाहन किराये पर लेने हेतु Empanelled किये जाने के प्रयोजनार्थ प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

वाहन का नाम (मेक सहित) (01 जनवरी, 2015 के बाद का मॉडल) (प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय वाहन 06 वर्ष से पूर्व का नहीं हो।)		जयपुर मुख्यालय एवं जयपुर से बाहर हेतु प्रतिदिन के आधार पर (As & When Required) वाहन उपलब्ध कराने की निर्धारित दर		रात्रि विश्राम की दरें प्रति रात्रि
		न्यूनतम प्रथम 250 किमी. तक की दर	250 किमी. के अतिरिक्त प्रति किमी की दर	
Swift Dezire/Etior	A.C.	2250.00	09.00	300 Rs. Per Night Fixed
Innova	A.C.	2925.00	11.50	300 Rs. Per Night Fixed

प्रस्ताव दिनांक 31.3.21 को 5.00 PM बजे तक कमरा नम्बर 222, द्वितीय मंजिल, स्वास्थ्य भवन में जमा कराये जा सकते है। प्रस्ताव मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावें, जिस पर स्पष्ट रूप से ''प्रतिदिन के आधार पर (As & When Required) वाहन लेने हेतु'' प्रार्थना पत्र लिखा होना चाहिए।

<u>वाहन के संचालन हेतु निम्न शर्तें मान्य होंगी :–</u>

01. फर्म को वाहन उक्त निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध कराने होंगे।
02. फर्म के पास जीएसटी नम्बर होना अनिवार्य है।
03. जीएसटी का भुगतान उक्त दरों के अतिरिक्त दिया जावेगा।
04. वाहन का टैक्सी नम्बर होना अनिवार्य है।
05. वाहन के भुगतान का मापदण्ड न्यूनतम 250 किमी प्रतिदिन संचालन माना जावेगा।
06. रात्रि विश्राम की गणना रात्रि 10:00 बजे बाद की जावेगी।
07. टोलटेक्स/पार्किंग एवं अन्तर्राज्यीय कर का भुगतान मूल रसीद प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।
08. यात्रा हेतु उपलब्ध कराये जा रहे वाहन पर फास्ट हैग होना अनिवार्य है।
09. वाहन का मॉडल 06 वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए, यदि 06 वर्ष से पूर्व का वाहन उपलब्ध कराया जाता है, तो उसका भुगतान नहीं किया जावेगा।

10. व्यक्ति, स्वामी, फर्म एवं ट्रेवल एजेन्सीज प्रस्ताव के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करें :–

- व्यक्ति, स्वामी, फर्म एवं ट्रेवल एजेन्सीज का पता।
- व्यक्ति, स्वामी, फर्म एवं ट्रेवल एजेन्सीज का जीएसटी नम्बर।
- व्यक्ति, स्वामी, फर्म एवं ट्रेवल एजेन्सीज का पैन नम्बर।
- व्यक्ति/पार्टनर/प्रोपराईटर का आधार नम्बर।
- व्यक्ति, स्वामी, फर्म एवं ट्रेवल एजेन्सीज के पास उपलब्ध वाहनों की संख्या।
- व्यक्ति, स्वामी, फर्म एवं ट्रेवल एजेन्सीज के पास उपलब्ध वाहन का मॉडल का विवरण।
- व्यक्ति, स्वामी, फर्म एवं ट्रेवल एजेन्सीज के पास वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रति।
- व्यक्ति, स्वामी, फर्म एवं ट्रेवल एजेन्सीज का बैंक खाते सम्बन्धी विवरण।
- गत तीन वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र (Govt./Public/Private Sector).
- वाहन का बीमा एवं फिटनैस प्रमाण पत्र, इत्यादि।

11. अन्य शर्तें संलग्न है। प्रस्ताव के साथ प्रसतावक को उपरोक्त शर्तों एवं संलग्न शर्तों पर सहमति देते हुए हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होंगे।

12. प्रस्ताव 01 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जावेंगे।

(नरेश कुमार ठकराल)
मिशन निदेशक, एनएचएम
एवं विशिष्ठ शासन सचिव
चिकि. स्वा. एवं प.क.

क्रमांकः– एफ.11( )/एनएचएम/भण्डार/प्रतिदिन वाहन/2021–22/ 1015 दिनांकः– 25/3/2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतुः–

01. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक एनएचएम।
02. निजी सहायक, निदेशक आरसीएच।
03. निजी सहायक, निदेशक वित्त, एनएचएम।
04. भण्डार अधिकारी, एनएचएम।
05. सलाहकार आईटी को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना SPPP, नोटिस बोर्ड एवं विभागीय वेबवाईट www.rajswasthaya.nic.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करावें।

भण्डार अधिकारी
एनएचएम/आरसीएच

विभाग को आवश्यकता पडने पर प्रतिदिन के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने की शर्तें :–

01. प्रस्तावदाता को प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे में "प्रतिदिन के आधार पर वाहन हायर करने हेतु आमंत्रित प्रस्ताव" लिखकर मिशन निदशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर को प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे के कोने पर प्रस्तावदाता अपना पूर्ण पता, दूरभाष नं., मोबाईल नं0 आदि आवश्यक रूप से लिखें।
02. प्रस्ताव पर सहमति परिशिष्ठ **'अ'** में दिये गये प्रपत्र में भी प्रस्तुत की जाये।
03. प्रस्ताव एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार संतोषप्रद कार्य नहीं करने पर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन फर्म को एक सप्ताह का नोटिस देकर समाप्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निर्णय अन्तिम होगा।
04. फर्म के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा इस विभाग को लिखित में दी जावेगी, जो मान्य होने पर ही लागू होगा, किन्तु इन परिस्थितियों में भी विभाग से हुए इस अनुबंध के संबंध में अनुपालना के दायित्व से मूल अनुबंधकर्ता को विमुक्त नही किया जावेगा।
05. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का मॉडल 01 जनवरी, 2015 से पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं वाहन सुचारू एवं अच्छी हालत में उपलब्ध कराया जावेगा।
06. पैनल बनाने का पूर्ण अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर को होगा।
07. पैनल वाली फर्म अपना कार्य किसी अन्य एजेंसी अथवा फर्म को नहीं सौप सकेगी अर्थात सबलेट नहीं कर सकेगी।
08. उक्त कार्य का वार्षिक अनुमानित व्यय 25.00 लाख रूपये है।
09. अनुबंध की अवधि अनुबंध के हस्ताक्षर होने की दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी।
10. प्रस्ताव स्वीकृत होने की स्थिति में प्रस्तावदाता द्वारा Performance security राशि 50,000 (अक्षरे पचास हजार रूपये) अनुबंध के साथ जमा करवाया जाना है।
11. विभाग द्वारा समानान्तर Pannel तैयार किया जावेगा। प्रस्ताव स्वीकृति होने की स्थिति में सफल प्रस्तावदाता को स्वयं के खर्चे पर 500/– रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना होगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबंधकर्ता को राशि 50,000 रूपये प्रति फर्म की दर से कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रूप में विभाग को डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा करानी पडेगी। यह राशि अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर वापिस लौटा दी जावेगी। इस राशिपर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
12. Performance Security को निम्न परिस्थितियों में समपहरण/जप्त (Forfeiture) किया जा सकता हैं :–
    - जब प्रस्ताव के किसी निबंधन और शर्तों को भंग किया जाता है।
    - प्रस्तावदाता संतोषप्रद रूप से सेवा प्रदायगी में विफल रहता है।
    - प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। समय के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
13. अनुमोदित प्रस्तावक एवं वाहन चालक के पास चालू हालत में मोबाईल फोन होना आवश्यक है। वाहन Comprehensively Insured होगा। वाहन आवश्यकतानुसार 24 घंटे में कभी भी मांगा जा सकता है। मोबाईल फोन बंद होने की स्थिति में वाहन आपूर्ति नहीं करने पर वाहन तत्काल इस कार्यालय द्वारा अन्य एजेंसी से मंगवाकर कार्य सम्पादित कर लिया जावेगा। इस प्रक्रिया में जो भी व्यय होगा उसके अन्तर की दुगनी राशि अनुबंधित एजेंसी (सफल प्रस्तावदाता) के भुगतान से काट ली जावेगी।
14. दरे निर्धारित है, अनुबंध अवधि में इन दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जीएसटी समय पर जमा कराने की जिम्मेदारी प्रस्तावदाता की होगी।
15. कार्यालय के उपयोग किए जाने की अवधि में यदि कोई वाहन खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मद कराने व मरम्मत पर होने वाले व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रस्तावदाता की होगी।
16. कार्यालय के उपयोग किए जाने की अवधि में वाहन में किसी भी प्रकार की टूटफूट या दुर्घटना अथवा चालान होन पर जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। इसका उत्तरदायित्व वाहन मालिक का ही होगा।
17. इस कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार वाहन किसी भी समय किराये पर लिया जा सकता है तथा वाहन का प्रयोग किसी भी स्थान की यात्रा हेतु किया जा सकता हैं।

18. वाहन के किलोमीटर की रिडिंग आदि सूचना हेतु Duty Slip प्रमाणित कराकर देनी होगी। यात्रा समाप्ति पर संबंधित प्रयोग करने वाले अधिकारी के कुल किलोमीटर वाहन का प्रयोग किया गया है, के सत्यापन का हस्ताक्षर मय नाम एवं पद कराने होंगे।
19. वाहन के साथ हर समय पंजीयन/रोड टैक्स/फिटनेस प्रमाण–पत्र, Comprehensive बीमा, प्रदूषण एवं आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है। वाहन टैक्सी परमिट का ही होना चाहिए। यदि किसी दस्तावेज के अभाव में कोई पैनेल्टी आदि लगती है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी स्वयं प्रस्तावक की होगी।
20. वाहन साफ–सुथरी अवस्था में उपलब्ध होना चाहिए तथा सीट पर साफ सुथरा कवर लगा कर हीं भेजना होगा। वाहन चालक निर्धारित वर्दी में होना चाहिए।
21. वाहन की कन्डीशन वाहन भेजे जाते समय अच्छी होनी चाहिए। अगर वाहन रास्ते में खराब हो जाता है, तो तुरन्त अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। विभाग द्वारा व्यवस्था करने पर उसका हर्जाना (Risk & Cost) स्वरूप राशि की कटौती एजेंसी के बिल में से करने हेतु विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।
22. वाहन चालक वैध लाईसेंसधारी मय वर्दी के होगा व वाहन के समस्त कागजात व ड्राईविंग लाईसेंस सदैव अपने पास रखेगा। ड्यूटी के दौरान वाहन चालक नशे की हालत में नहीं होगा। वाहन चालक का विभा के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति व्यवहार मर्यादा पूर्ण होगा।
23. वाहन के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर विभाग तुरंत प्रभाव से वाहन को हटा सकेगा, जिस सम्बन्ध में विभाग द्वारा वाहन मालिक को कोई हर्जाना देय नहीं होगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रस्तावदाता की होगी, साथ ही सुरक्षा राशि भी जप्त (Rorfaiture) की जा सकती है।
24. अन्तर्राज्यीयकर/टोल टैक्स/पार्किंग का यदि भुगतान किया जाता है, तो प्रस्तावदाता द्वारा भुगतान किया जाकर विभाग को प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ रसीद संलग्न करने पर पुनर्भरण किया जावेगा।
25. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।
26. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पडे तो जयपुर स्थित न्यायालयों में ही होगी अन्य स्थान पर नहीं।
27. वाहन चालक को विभिन्न कानूनों नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधायें सफल प्रस्तावक द्वारा स्वयं के स्तर पर उपलब्ध कराई जायेगी। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कोई दायित्व नहीं होगा।
28. किसी भी दावे का भुगतान नियमानुसार आयकर अथवा अन्य कर जो सरकार द्वारा दायी हो, की कटौती के पश्चात ही किया जावेगा।
29. सफल प्रस्तावक फर्म को बिल के मूल भुगतान के साथ जीएसटी का भुगतान किया जावेगा तथा फर्म को निर्धारित समय में जीएसटी की राशि संबंधित विभाग में जमा करानी होगी। यदि जीएसटी की राशि जमा कराने में प्रस्तावक द्वारा देरी की जाती है एवं यदि कोई पैनेल्टी आदि लगती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं प्रस्तावक की होगी।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें एवं प्रस्ताव आमंत्रण सूचना क्रमांक .... दिनांक .... में अंकित शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली है। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए सहमत हूँ/है।

हस्ताक्षर प्रस्तावदाता मय नाम,
फर्म एवं पते सहित